

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम

क्रमांक : स्था/09/2025/3928

दिनांक:-30 अगस्त, 2025

- : आ-दे-श : -

- 01 निम्नांकित सारणी में अंकित कर्मचारीगण के पूर्व प्रतिनियुक्ति/कार्य-निष्पादन बाबत आदेश तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं:-

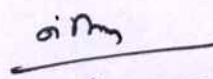
क्र० सं०	नाम कर्मचारी एवं पद सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	नाम न्यायालय जहाँ कर्मचारी पदस्थापित है	नाम न्यायालय जिसमें कर्मचारी को कार्य निष्पादन हेतु लगाया गया था
01	देवेन्द्र शाह आशुलिपिक ग्रेड-III	Spl. JM (NI Act) No. 10	Spl. Court, NDPS Cases
02	विजय कुमार भट्ट रीडर ग्रेड-II	ACJM No. 3	ADJ No. 3

- 02 प्रशासनिक कारणों से जयपुर महानगर-प्रथम न्यायक्षेत्र में कार्यरत/पदस्थापित निम्नांकित कर्मचारीगण का स्थानान्तरण/पदस्थापन निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम कर्मचारी एवं पद सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	नाम न्यायालय जहाँ कर्मचारी पदस्थापित है	नाम न्यायालय जिसमें स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जाता है	कर्मचारी जिसके स्थान पर लगाया जाता है
1.	खाना गुर्जर आशुलिपिक ग्रेड-I	Family Court No. 4	Spl. Court, SC/ST Cases	मनीष सोनवाल आशुलिपिक ग्रेड-I
2.	मनीष सोनवाल आशुलिपिक ग्रेड-I	Spl. Court, SC/ST Cases	ADJ No. 7	सीताराम शर्मा आशुलिपिक ग्रेड-I
3.	सीताराम शर्मा आशुलिपिक ग्रेड-I	ADJ No. 7	Family Court No. 4	खाना गुर्जर आशुलिपिक ग्रेड-I
4.	देवेन्द्र शाह आशुलिपिक ग्रेड-III	Spl. JM (NI Act) No. 10	CJ&JM (South)	राजेश कुमार अग्रवाल आशुलिपिक ग्रेड-III
5.	राजेश कुमार अग्रवाल आशुलिपिक ग्रेड-III	CJ&JM (South)	Spl. JM (NI Act) No. 10	देवेन्द्र शाह आशुलिपिक ग्रेड-III
6.	गीता मेठवानी रीडर ग्रेड-I	ADJ No. 3	Spl. Court, CBI No. 3	राजेन्द्र कुमार शर्मा रीडर ग्रेड-I
7.	राजेन्द्र कुमार शर्मा रीडर ग्रेड-I	Spl. Court, CBI No. 3	ADJ No. 3	गीता मेठवानी रीडर ग्रेड-I
8.	मनीष कुमार टांक लिपिक ग्रेड-II	Spl. JM (NI Act) No. 13	Spl. Court, Fake Currency	उमेश कुमार मीणा लिपिक ग्रेड-II
9.	उमेश कुमार मीणा लिपिक ग्रेड-II	Spl. Court, Fake Currency	Spl. JM (NI Act) No. 13	मनीष कुमार टांक लिपिक ग्रेड-II
10.	बालू राम सैन च०श्रे०क०	ACJM No. 4	Spl. Court, CBI No. 5	राजेन्द्र प्रसाद शर्मा च०श्रे०क०
11.	राजेन्द्र प्रसाद शर्मा च०श्रे०क०	Spl. Court, CBI No. 5	ACJM No. 4	बालू राम सैन च०श्रे०क०

नोट:- उक्त कर्मचारीगण को अपना समस्त चार्ज/मालखाना/फाईलों आदि का लेन-देन करा कर (यदि कोई हो) तथा चार्ज लेन-देन की संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करते हुए संबंधित कर्मचारी को नवीन पदस्थापन न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु तीन दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से कार्यमुक्त किया जावे।

- 03 इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था/2025/3851 दिनांक 26.08.2025 द्वारा राजस्थान मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के तहत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर अस्थायी तौर पर नियुक्त श्रीमती मीना मीना को न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-8, जयपुर महानगर-प्रथम में पदस्थापित किया जाता है। उक्त कर्मचारी का वेतन इस न्यायक्षेत्र में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पदस्थापन न्यायालय से नियमानुसार आहरित किया जावेगा।


 जिला एवं सेशन न्यायाधीश
 जयपुर महानगर प्रथम

- 04 जयपुर महानगर-1 में कार्यरत निम्नांकित कर्मचारियों को आगामी आदेश तक उनके नाम के सम्मुख अंकित न्यायालय में कार्य-निष्पादन हेतु तुरन्त प्रभाव से लगाया जाता है:-

क्र० सं०	नाम कर्मचारी एवं पद सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	नाम न्यायालय जहाँ कर्मचारी पदस्थापित है	नाम न्यायालय जिसमें कर्मचारी को कार्य निष्पादन हेतु लगाया जाता है
01	राजेश कुमार अग्रवाल आशुलिपिक ग्रेड-III	Spl. JM (NI Act) No. 10	Spl. Court, NDPS Cases
02	विजय कुमार भट्ट रीडर ग्रेड-II	ACJM No. 3	Spl. JM (NI Act) No. 4 (For the work of Reader)
03	हरि मोहन महावर रीडर ग्रेड-II	Spl. JM (NI Act) No. 4	Spl. JM (NI Act) No. 2
04	मीना मीना च०श्रे०क०	ACJM No. 8	DJ Court

नोट:-

- a) उक्त कर्मचारीगण का वेतन उनके पदस्थापन न्यायालय द्वारा आहरित किया जावेगा। उक्त कर्मचारीगण अपनी उपस्थिति कार्य-निष्पादन वाले न्यायालय में अंकित करेंगे तथा इनका आकस्मिक अवकाश भी कार्य-निष्पादन वाले न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया जावेगा। इनकी उपस्थिति बाबत सूचना नियमानुसार पदस्थापन न्यायालय को भिजवाई जावे।
- b) उक्त कर्मचारीगण को अपना समस्त चार्ज/मालखाना/फाईलों आदि का लेन-देन करा कर (यदि कोई हो) तथा चार्ज लेन-देन की संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करते हुए संबंधित कर्मचारी को नवीन पदस्थापन न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु तीन दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से कार्यमुक्त किया जावे।

संबंधित समस्त कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यमुक्ति से पूर्व संबंधित वर्ष अवधि के लिये वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के भाग-1 की पूर्ति कर पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। संबंधित पीठासीन अधिकारी 7 दिवस के भीतर वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के भाग-11 की पूर्ति कर इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

Sd/-
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जयपुर महानगर-प्रथम

क्रमांक : स्था/09/2025/3928

दिनांक:- 30 अगस्त, 2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 01 प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा), जिला न्यायालय, जयपुर महानगर-प्रथम
- 02 संबंधित न्यायालय/कर्मचारी, जयपुर महानगर-प्रथम
- 03 सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
- 04 निजी पत्रावली संबंधित कर्मचारी
- 05 आदेश पत्रावली / संबंधित पत्रावली / रक्षित पत्रावली

n/m
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जयपुर महानगर-प्रथम